मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 26 जुलाई, 2017 (श्रावण 4, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सदन की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि दी गई.

2. प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष महोदय द्वारा विपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का बार-बार अनुरोध किया गया. व्यवधान के कारण प्रश्नोत्तर नहीं हो सके. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 143 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 169 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. प्रश्नकाल में उल्लेख

सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों पर दिये गये स्थगन पर चर्चा कराई जाना

श्री बाला बच्चन, सदस्य ने उल्लेख किया कि - 18 जुलाई, 2017 से हमने सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र के प्रभावितों के संबंध में स्थगन प्रस्ताव या नियम 139 के अंतर्गत चर्चा माँगी थी. लाखों लोग और मवेशी उसमें प्रभावित हुए है. आज की कार्यसूची में भी ये विषय नहीं आ पाया है. जबकि वहां फोर्स लगाकर लोगों को धमकाया जा रहा है. जिससे वहां के लोग चिंतित हैं, भय और डर में जी रहे हैं और 31 जुलाई, 2017 आखिरी तारीख है. अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अवगत कराया कि अभी प्रश्नकाल चलने दें, शून्यकाल में आपको बोलने का अवसर देंगे.

4. गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों पर दिये गये स्थगन पर चर्चा कराने की मांग को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक सदस्यगण गर्भगृह आए.

5. प्रश्नकाल में उल्लेख (क्रमश:)

श्री बाला बच्चन, कुंवर विक्रम सिंह, सदस्यगण ने सदन को सूचित किया कि मध्यप्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा इस बांध के डूब क्षेत्र में आ रहा है जिससे 200 गांव प्रभावित हो रहे हैं. 23 हजार परिवारों की रोजी रोटी व मकान सब बर्बाद हो गये हैं. श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि 4 दिन से हम लोग इस स्थगन पर किसी भी रूप में चर्चा कराना चाहते है, 23 हजार परिवारों की समस्या है, कल शून्यकाल में भी यह मुद्दा उठाया था इसमें 4 जिले प्रभावित हो रहे हैं. आप इस पर चर्चा करा लें.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री एवं श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने प्रतिपक्ष के साथियों से निवेदन किया कि प्रश्नकाल में 25 माननीय सदस्यों के प्रश्न आते हैं जिससे लोक समस्याओं का निराकरण होता है इसलिए प्रश्नकाल चलने दिया जाय, उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं. श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने सदन को सूचित किया कि नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे है, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीमण्डल के लोग उन परिवार के लोगों की चिंता कर रहे हैं ये केवल वाह वाही लूटने का काम कर रहे हैं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कर रहे हैं ये केवल राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं. इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह राजनैतिक लाभ के लिए नहीं है, हम उनकी चिंता कर रहे हैं. गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं इन्हें गुजरात की चिंता है, मध्यप्रदेश के रहवासियों की चिंता नहीं है.

अनेक सदस्यों द्वारा गर्भगृह में एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान होने के कारण, माननीय अध्यक्ष द्वारा 11.12 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर, 11.28 बजे पुन: समवेत की गई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

6. प्रश्नकाल में उल्लेख (क्रमश:)

श्री बाला बच्चन, सदस्य द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि आप हमें आश्वस्त करें कि आज आप चर्चा कराएंगे.

7. गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों पर दिये गये स्थगन पर चर्चा कराने की मांग को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक सदस्यगण गर्भगृह आए.

8. प्रश्नकाल में उल्लेख (क्रमश:)

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि मैं पिछले 3 सत्रों से लगातार मध्यप्रदेश में जो रेत घोटाला हो रहा है उसके बारे में लगातार नियम 139 की चर्चा पिछले 6 माह से मांग रहा हूं. अध्यक्ष महोदय ने विपक्ष के सदस्यों को सूचित किया कि प्रश्नकाल हो जाने दें उसके बाद अपनी बात कहे. श्री बाला बच्चन, सदस्य द्वारा अध्यक्ष महोदय से पुन: अनुरोध किया कि आप हमें आश्वस्त करिये कि आप इस विषय पर चर्चा कराएंगे.

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता ने उल्लेख किया कि ये लोग विकास के खिलाफ है, भविष्य इनको माफ नहीं करेंगा. इनकी विकास विरोधी मानसिकता है, ये इस देश में विकास नहीं चाहते है. श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने उल्लेख किया कि आज की कार्यसूची में अध्यक्ष महोदय द्वारा 4 महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण की सूचनाएं ली है, शासकीय विधि विषयक कार्य भी है श्री गोपाल भार्गव ने उल्लेख किया कि आज डिण्डौरी के जनजाति के लोगों का, श्योपुर में किसानों से संबंधित खाद और फर्टीलाइजर से संबंधित, मनरेगा के पेमेन्ट से संबंधित जनहित के महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षणके साथ साथ महत्वपूर्ण विधि विषयक कार्य भी हैं, उन्हें हो जाने दें. कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर ही यह सारे कार्य लिए गए हैं. इन्हें पूरा करने के बाद जो भी समय शेष बचे उसमें चर्चा के लिए यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष आग्रह करते हैं और समय शेष रहेगा तो इस विषय पर चर्चा हो. लेकिन आज की कार्यसूची के विषय को छोड़कर इसे लेने से कार्यवाही बाधित करके सदस्यों के अधिकारों को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है. श्री लाल सिंह आर्य ने सदन को सूचित किया कि डूब प्रभावित क्षेत्र के लोगों को 640 करोड़ रूपये का पैकेज सरकार ने दिया.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अभी आश्वसन की कोई बात नहीं है आप 12 बजे अपनी बात शून्यकाल में कहिए, पहले कार्यसूची का काम पूरा होने दें. इसके बाद फिर विचार करेंगे. अभी प्रश्नकाल हो जाने दें. शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष को मैं बोलने का समय दूंगा.

अत्यधिक व्यवधान होने के कारण, माननीय अध्यक्ष द्वारा 11.42 बजे सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित की जाकर, 12.04 बजे विधानसभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

9. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की पुराने भोपाल के सीवेज सिस्टम में अव्यवस्था एवं लापरवाही होने,

(2) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना से सबलगढ़ मार्ग का फोरलेन जर्जर होने,

(3) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य की सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हाईस्कूलों में शिक्षकों के पद स्वीकृत किये जाने,

(4) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली क्षेत्र के मकरोनियां बुजुर्ग नगर पालिका में परिवारों की समग्र आई.डी. अपडेट नहीं की जाने,

(5) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य की भोपाल की तहसील हुजूर के ग्राम फंदा कला में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा कृषकों को न मिलने,

(6) श्री चम्पालाल देवड़ा, सदस्य की भोपाल में हाऊसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने,

(7) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की देवास के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के कृषकों को बिजली मुहैया न कराई जाने,

(8) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दमेहड़ी में महाविद्यालय खोले जाने,

(9) श्री रजनीश सिंह, सदस्य की सिवनी जिले के घनौरा विकासखंड के अंतर्गत भीमगढ़ बांध की नहर का घटिया निर्माण कार्य होने तथा

(10) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में ग्राम साजड़ी के कृषक मजदूरों के लिए हमीदिया अस्पताल भोपाल में इलाज का अभाव होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

10. गर्भगृह में प्रवेश

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य श्री सचिन यादव एवं श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल गर्भगृह में आये एवं कुछ समय पश्चात वापस चले गये. कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा दिन भर कार्यवाही लगातार बाधित करने पर, अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें स्मरण कराया कि अनुपूरक अनुमान पर 4 घंटे से अधिक हुई चर्चा में पर्याप्त अवसर उपलब्ध था किन्तु आपके पक्ष ने इस विषय पर कोई उल्लेख तक नहीं किया था. तथापि, आज आपको अनुमति दी गई कि आप बोलें, परन्तु आप वही बात दोहरा रहे हैं.

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में आकर लगातार नारेबाजी करते रहे. व्यवधान के मध्य कार्यसूची में उल्लेखित विषय पर सदन की कार्यवाही जारी रही.)

11. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7-12/2016/उन्तीस-1, दिनांक 17 मई, 2017 पटल पर रखी.

12. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा उल्लेख किया गया कि आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है. लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें. तदुपरांत, सदन की सहमति से नियम 138 (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्य सूची में उल्लेखित 4 ध्यान आकर्षण सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाने एवं शासन के वक्तव्य पटल पर रखे हुए माने संबंधी घोषणा की गई. तद्नुसार -

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में खाद की कमी होने संबंधी सूचना एवं राज्यमंत्री, सहकारिता का वक्तव्य,

(2) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिण्डौरी जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न होने संबंधी सूचना एवं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य,

(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले में राजस्व अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने में लापरवाही होने संबंधी सूचना एवं राजस्व मंत्री का वक्तव्य तथा

(4) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले की बानसुजारा समूह जलप्रदाय योजना से पेयजल हेतु पानी न मिलने संबंधी सूचना एवं जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य,

पटल पर रखे हुए माने गये.

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(2) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(3) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(4) श्री गिरीश भंडारी (जिला-राजगढ़)
(5) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-भोपाल)
(6) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(7) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(8) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (जिला-गुना)
(9) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर (जिला-खण्डवा)
(10) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(11) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(12) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(13) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(14) श्री इंदर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(15) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(16) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)

(17) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(18) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(19) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(20) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(21) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(22) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(23) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(24) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(25) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल (जिला-सीहोर)
(26) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(27) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(28) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(29) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
(30) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(31) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(32) डॉ. कैलाश जाटव (जिला-नरसिंहपुर)
(33) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(34) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(35) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(36) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(37) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(38) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)
(39) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(40) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(41) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(42) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(43) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(44) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(45) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(46) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(47) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-सीहोर)

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 14 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयभान सिंह पवैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 17 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 10 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री लालसिंह आर्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 17 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(6) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्डश: विचार में श्री रामपाल सिंह ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 5 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्-

" 5. मूल अधिनियम की धारा 15 में, शब्द "आवेदक न्यायालय से एक प्रमाण पत्र पाने का हकदार होगा, जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस कलक्टर से वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा, जितनी उस फीस से अधिक है, जो न्यायालय में दिए गए किसी अन्य आवेदन पर इस अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के संख्यांक 1 के खण्ड (ख) या खण्ड (घ) के अधीन संदेय होती", के स्थान पर, शब्द "आवेदक न्यायालय से एक प्रमाण पत्र पाने का हकदार होगा, जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस कलेक्टर से या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा, वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा, जितनी उस फीस से अधिक है जो ऐसे न्यायालय में दिए गए किसी अन्य आवेदन पर इस अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के संख्यांक 1 के खण्ड (ख) या खण्ड (ड़) या खण्ड (च) के अधीन संदेय होती" स्थापित किया जाएं."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

संशोधन स्वीकृत हुआ
यथासंशोधित खण्ड 5 विधेयक का अंग बना.
खण्ड 2,3,4,6,7,8 एवं 9 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रामपाल सिंह ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

15. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने विषयक प्रस्ताव

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि – "वर्तमान मानसून सत्र के लिये नियत मुख्य शासकीय और वित्तीय कार्य पूर्ण हो चुके हैं. विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना तरीका सदन को बाधित कर रहा है. विपक्ष की रूचि सदन चलाने में नहीं है.जिन मुद्दों पर इस सदन में घंटों चर्चा हो गई है उसको ही दोहरा कर सदन में बाधा पहुंचा रहे हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12-ख के तहत मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाए."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

16. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया.

17. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्याह्न 12.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 26 जुलाई, 2017